

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

संचिका संख्या-01/स्थांराज-284/2024-पार्ट

पटना, दिनांक

फरवरी, 2026

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या-1380 दिनांक-02.09.2025 के क्रम संख्या-20 द्वारा श्री शत्रुघ्न पंडित को संविदा के आधार पर ईख प्रसार पदाधिकारी के विरुद्ध सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा के कार्यालय में नियोजन किया गया। उक्त आदेश के कंडिका-5 में प्रावधान है कि, "कार्यालय आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनका नियोजन स्वतः रद्द समझा जायेगा।"

इस प्रकार विभागीय आदेश संख्या-1380 दिनांक-02.09.2025 के कंडिका-5 के आलोक में श्री शत्रुघ्न पंडित, संविदा नियोजित ईख प्रसार पदाधिकारी कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा नियोजन स्वतः यथासमय योगदान नहीं करने के कारण संविदा रद्द हो गया है।

3. प्रस्ताव पर ईखायुक्त, बिहार, का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-01/स्थांराज-284/2024-पार्ट-249/पटना, दिनांक-06 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आशुटकक/सहायक निदेशक ईख विकास सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग/श्री शत्रुघ्न पंडित, संविदा ईख प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव।